# [1][नियम 61 : विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

1 अधिसूचना क्रमांक 82/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा नियम 61 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था–

**"नियम 61 : मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति**

**(1)** एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या कोई इनपुट सेवा वितरक या गैर–निवासी कराधेय व्यक्ति या, यथास्थिति, धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर–3** में इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

**(2)** उपनियम (1) के अधीन विवरणी के भाग क को इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटीआर–1**, **प्ररूप जीएसटीआर–2** के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए अन्य दायित्वों के आधार पर सृजित किया जाएगा।

**(3)** उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही को या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही को नामे डालकर निर्वहन करेगा और विवरणी के भाग ख में **प्ररूप जीएसटीआर–3** में ब्यौरों को सम्मिलित करेगा।

**(4)** धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिदाय का **प्ररूप जीएसटीआर–3** में विवरणी में भाग ख में दावा कर सकेगा और ऐसी विवरणी को धारा 54 के अधीन फाइल किया गया आवेदन समझा जाएगा।

[A]**[(5)** जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** या धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–2** में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समय–सीमा बढ़ा दी गई है, वहां धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी ऐसी रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुये जो आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा :

**परन्तु** यह कि, जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, वहां ऐसा व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर–3** में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।**]**

[E]**[(6)** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर देने वाला कोई व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से उत्तरवर्ती माह के 20वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेंगे:

**परन्तु** करदाता जिसका पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रूपए तक का संकलित आवर्त है जिसके कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य; दमण और दीव और और दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समुह या लक्ष्यद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के माह लिए उक्त नियम के तहत् **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, उक्त माह के अन्तरवर्ती माह के 22वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेगा:

**परन्तु और कि** करदाता जिसका पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रूपए तक का संकलित आवर्त है जिसके कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरूणाचल

(1) यथास्थिति, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या इनपुट सेवा प्रदाता या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 अथवा धारा 51 या यथास्थिति धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति या

---

प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा राज्य, जम्मू और कश्मीर लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में है, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के माह के लिए उक्त नियम के तहत् **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, उक्त माह के अन्तरवर्ती माह के 24वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

**A** अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (5) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

"[B]**[(5)** जहां धारा 37 के तहत **प्ररूप जीएसटीआर 1** में और धारा 38 के तहत **प्ररूप जीएसटीआर 2** में विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा बढ़ा दी गई है और परिस्थितियां वारंट करती है, आयुक्त अधिसूचना द्वारा, [तरीके और शर्तों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसे] रिर्टन सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से फार्म जीएसटीआर 3 ख में प्रस्तुत किया जायेगा।

**B** पहले अधिसूचना क्रमांक 17/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा वर्तमान उप–नियम (5) के स्थान पर उप–नियम (5) एवं (6) प्रतिस्थापित हुआ था (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

**"(5)** जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** और धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–2** में ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय–सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि **प्ररूप जीएसटीआर 3** के स्थान पर **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए।

**(6)** [D][****]"

**C** अधिसूचना क्रमांक 22/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा **"**विनिर्दिष्ट करता है**"** के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

**D** अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (6) विलोपित अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017 से विलोपित)।

"[E]**[(6)** जहां **प्ररूप जीएसटीआर 3ख** में रिर्टन प्रस्तुत किया गया है, **प्ररूप जीएसटीआर 2** में विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारिख के बाद

**(क) प्ररूप जीएसटीआर 3** में रिर्टन का **भाग–ए प्ररूप जीएसटीआर 1**, **प्ररूप जीएसटीआर 2** के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पूर्ववर्ती कर अवधि की अन्य देनदारियों के आधार पर इलैक्ट्रानिक रूप से उत्पन्न होगा और कथित रिर्टन का भाग बी होगा कर अवधि के संबंध में प्रस्तुत प्ररूप जीएसटीआर 3 ख में रिर्टन के आधार पर इलैक्ट्रानिक रूप से उत्पन्न हो ;

**(ख)** पंजीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर 3ख** में रिर्टन और **प्ररूप जीएसटीआर 3** में रिर्टन के बीच विसंगतियों, यदि कोई हो, के आधार पर **प्ररूप जीएसटीआर 3** में रिर्टन के भाग–बी को संशोधित करेगा और अपने कर और अन्य देनदारियों का निर्वहन करेगा, यदि कोई ;

**(ग)** जहां प्ररूप जीएसटीआर 3 में इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि प्ररूप जीएसटीआर 3 बी के संदर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से अधिक है, अतिरिक्त राशि पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी।]"

**E** अधिसूचना क्रमांक 82/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा उपनियम (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.11.2020)।

तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से नीचे यथा विनिर्दिष्ट –

**(i)** धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ऐसी अवधि के उत्तरवर्ती मास के 20वें दिन को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा :

**(ii)** धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :–

**सारणी**

| क्रम सं. | रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग | नियत तारीख |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके कारबार का मूल स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, राज्यों दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों में है। | ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के बाइसवें दिन। |
| 2. | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके कारबार का मूल स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड या उड़ीसा राज्यों, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में है। | ऐसे तिमाही के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवें दिन। |

**(2)** उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम अथवा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए इलैक्ट्रानिक नगद खाते या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते के विकलन द्वारा उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा और विवरणी में ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में सम्मिलित करेगा।

**(3)** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तिमाही के प्रत्येक पहले दो मास के उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन तक **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06** में उक्त रकम के निक्षेप द्वारा धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक अधीन बकाया कर का संदाय करेगा :

**परन्तु** आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें अधिसूचित किए जाएं, **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06** में उक्त रकम का निक्षेप करने के लिए नियत तारीख का विस्तार कर सकेगा :

**परन्तु यह और** कि राज्य कर या संघ राज्य कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा :

**परन्तु यह और भी** कि **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06** में निक्षेप करते समय ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति –

**(क)** तिमाही के पहले मास के लिए, इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा;

**(ख)** तिमाही के दूसरे मास के लिए, पहले मास के लिए बकाया कर को अपवर्जित करते हुए इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा।

**(4)** उपरोक्त उपनियम (3) के परंतुक के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा निक्षिप्त रकम **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में उक्त तिमाही के लिए विवरणी फाइल करते समय विकलित की जाएगी और इस प्रकार निक्षिप्त रकम में से इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष पड़ी हुई ऐसी रकम के प्रतिदाय के किसी दावे को केवल उक्त तिमाही के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी फाइल किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा।**]**